विचार बिन्दु

यदि ईश्वर नहीं है तो उसका आविष्कार कर लेना जरूरी है। –वाल्टेयर

'ईज़ ऑफ़ लिविंग' यानि जीने की सुगमता

निवेश को आकर्षित करने एवं उद्योगपतियों को अपना उद्योग लगाने में कितनी आसानी होती है, उसे नापने के लिए एक पैमाना काम में लिया जाता है, जिसे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कहा जाता है। रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराना, करो में राहत देना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, एकल खिड़की योजना आदि कई प्रकार के तरीकों से सरकारें ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने का प्रयास करती हैं।

आज इस आलेख में हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की नहीं अपितु नागरिक के 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' अर्थात जीने की सुगमता की बात करेंगे। जिस व्यक्ति के पास असीम धन दौलत, सत्ता या संपर्क है, उसके लिए तो यह कोई मायने नहीं रखता, किंतु देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ऐसी है, जिनके लिए सरकार की बड़ी भूमिका है। ईज़ ऑफ लिविंग, अधिकांश सरकारी विभागों की संवेदनशीलता, उनके नागरिकों के साथ व्यवहार और उनकी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के तरीकों पर निर्भर करती है। किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जीना कितना आसान है, उसे हम जीने की सुगमता कह सकते हैं । प्रमुख रूप से इस हेतु कुछ आयामों की बात की जा सकती है जैसे खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करने की सुविधा, आश्रय की सुविधा, बच्चों के लिए शिक्षा की सुगमता, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार प्राप्त करने की सुगमता, बीमार होने पर चिकित्सा प्राप्त करने की सुगमता, सुरक्षा के लिए पुलिस से सहायता प्राप्त करने की सुगमता आदि । हम इन पर एक-एक कर बात करेंगे।

राजस्थान में, अन्य राज्यों की तरह ही, गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण कई परिवारों को एवं विशेष कर युवाओं को आसपास के शहरों में रहने के लिए जाना होता है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह शहरों में कोई भूखंड अथवा बना बनाया मकान लेकर अपना जीवन प्रारंभ कर सके, न उसकी आय इतनी होती है कि वह किराए पर मकान लेकर रह सके। ऐसी स्थिति में जहां उसे खाली जगह मिलती है, वहीं कच्चा-पक्का मकान बनाकर रहना प्रारंभ कर देता है। इनमें से जहां पक्के मकान बन जाते हैं, वे आगे कुछ वर्षों बाद अनधिकृत कॉलोनीयों की संज्ञा में आ जाते हैं । मजे की बात यह है कि, ये अनधिकृत बस्तियां स्थानीय सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि के संरक्षण में पनपती हैं, जिसके लिए वे निरंतर संरक्षण राशि वसूलते हैं। कुछ वर्षों बाद शहरों के सौंदर्य करण एवं स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इन वर्षों से बसे परिवारों को जेसीबी या बुलडोजर के माध्यम से रातों रात उजाड़ दिया जाता है। ऐसा करते समय सामान्य कोई वैकल्पिक आश्रय भी उपलब्ध कराया नहीं जाता। यह सही है कि झुग्गी झोंपडियों और अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोगों को कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है । प्रश्न यह है कि गांव से शहर आकर बसने वाले गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? यदि सरकार ऐसे व्यक्तियों को उनकी आय के साधन के अनुरूप आवास की लिए आश्रय उपलब्ध नहीं कर पाए तो उनके पास जहां जगह मिली वहीं पर बसने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है। क्यों सरकार बाहर से शहरों में आने वाले युवाओं एवं परिवारों के लिए आवासों की व्यवस्था नहीं कर सकती? नाम मात्र का किराया वसूल करके उनके रहने योग्य आवास तो अस्थाई रूप से उपलब्ध करा ही सकती है? एक ओर सरकार करोड़ों निर्धन व्यक्तियों को आवास देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर वही सरकार, बसे हुए परिवारों को बेघर करने का काम कर रही है। स्पष्ट है, रहने की सुगमता कतई नहीं है।

रोजगार की प्राप्ति की सुगमता की बात कर लें। स्नातक / स्नातकोत्तर / तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी 8 से 10000 रुपए की कोई भी नौकरी करने के लिए देश के युवा विवश हैं । आप अगर डिलीवरी बॉय या कॉल सेंटर पर काम करने वालों से बात करें तो यह पाएंगे कि इनमें से अनेक ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। कुछ तो पीएचडी हैं । जो लोग निजी महाविद्यालय में नौकरी प्राप्त कर भी लेते हैं तो, उन्हें भी लगभग 15000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं मिलते हैं। बेरोज़गारी की स्थिति कितनी भयावह है, यह इसी से पता चलता है कि गुजरात के एक शहर की निजी कंपनी में 10000 रुपए की नौकरी के लिए हजारों युवा पहुंच गए और उनमें भगदड़ मचने से रेलिंग तक टूट गई।

कहा यह जाता है कि जो स्नातक निकलते हैं वे रोजगार पाने योग्य नहीं हैं। प्रश्न यह है कि यदि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके आधार पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता तो यह गलती युवाओं की नहीं, अपितु उस सरकार की है जो उन्हें उपयुक्त प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है । सरकारी कमी का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़े, इससे अन्यायपूर्ण पूर्ण बात और क्या हो सकती है ? आश्चर्य की बात है, अभी हम इस ऐसी अप्रासंगिक शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं । यदि युवाओं को डिलीवरी बॉय या ठेला लगाने का ही काम करना है तो उसकी पढ़ाई पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कराया जा रहा है? खराब शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई जिम्मेदारी किसी की तय नहीं की गई? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी 10 से 15000 रुपए महीने में काम करना पड़े तो कोई अपने परिवार का गुजारा कैसे चला सकता है? यह स्थिति हताशा निराशा उत्पन्न करने का काम ही करती है। अत: उपयुक्त रोजगार की सुगमता नहीं है।

महिलाओं के लिए अपने कार्य स्थल पर जाना बड़े शहरों में दुष्कर कार्य है । सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नगण्य और असुरक्षित है । इस कारण, कामकाजी महिलाओं को प्रतिदिन अपने आप को जैसे-तैसे बचाते हुए अपने कार्य स्थल तक जाना होता है। यदि किसी महिला के साथ कोई घटना हो जाय तो वहां भी उसकी एफ आई आर आसानी से दर्ज नहीं की जाती। कुल मिलाकर महिलाओं को सुरक्षा सुलभ नहीं है।

स्वच्छ पेय जल की उपलब्धि किसी भी परिवार के लिए अत्यंत आवश्यक है चाहे वह किसी भी स्तर का परिवार ही क्यों ना हो? वास्तविकता यह है कि, जहां पाइप लाइन उपलब्ध भी है तो साधारण बस्तियों में पानी कभी आता ही नहीं है और यदि आता भी है तो सक्षम व्यक्तियों द्वारा बूस्टर लगा ले जाने के कारण उनके यहां पानी नहीं पहुंच पाता। पीने के पानी के लिए उन्हें दूर तक जाकर अपने स्वयं के स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध तक न कर पाए तो उसे तो यह मानना ही पड़ेगा कि लोगों के लिए जीना बहुत कठिन है। और वस्तुओं के बिना लोग जैसे तैसे जीवन यापन कर सकते हैं लेकिन पानी के बिना जीवन कैसे संभव है?

लगभग प्रत्येक खाद्य पदार्थ में, वह फल हो, सब्जी हो, दालें हों, तेल हो या कोई अन्य खाद्य सामग्री, सबमें रसायन की मिलावट के कारण कैंसर होने की संभावना निरंतर बढ़ रही है। दूध में यूरिया की मिलावट, मसाले में केमिकल्स की मिलावट, फलों को केमिकल से पकाना, सब्जियों को केमिकल के माध्यम से शीघ्र अधिक बड़ा करना, यह सब वे बातें हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए जीवन एक प्रकार से दूभर कर दिया है।

लगभग प्रत्येक खाद्य पदार्थ में, वह फल हो, सब्जी हो, दालें हों, तेल हो या कोई अन्य खाद्य सामग्री, सबमें रसायन की मिलावट के कारण कैंसर होने की संभावना निरंतर बढ़ रही है। दूध में यूरिया की मिलावट, मसाले में केमिकल्स की मिलावट, फलों को केमिकल से पकाना, सब्जियों को केमिकल के माध्यम से शीघ्र अधिक बड़ा करना, यह सब वे बातें हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए जीवन एक प्रकार से दूभर कर दिया है।

मजदूरी करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसके लिए तो और भी दोहरी मार पड़ती है । उसे बीमारी वाले दिनों के लिए दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिलेगी और इलाज पर खर्च होगा, वह अलग। श्रमिकों को कई लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड बनाने का प्रावधान है, जिससे बच्चों के शिक्षा में मदद मिलने की बात कही जाती है, किंतु श्रमिक कार्ड कैसे बनेगा, उसके आधार पर प्राप्त होने वाले छात्रवृत्ति कब मिलेगी कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी देने की कोई व्यवस्था नहीं है । फलस्वरूप, जो वास्तविक पात्र व्यक्ति हैं, वे उन सब सुविधाओं से वंचित ही रहते हैं जो उनके नाम पर बनाई गई हैं। हाल ही में एक ऐसा परिवार हमारे संपर्क में आया जो अत्यंत निर्धन है और उस परिवार की एक लड़की अत्यंत ही प्रतिभाशाली है, किन्तु सारे प्रयास के बावजूद उसे अब तक कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसके एक कमरे वाले घर में पानी नहीं आ रहा था तो मैंने स्वयं ने कनिष्ठ अभियंता से लेकर सचिव स्तर तक बात की, किंतु फिर भी उनकी पेय जल की समस्या का समाधान नहीं हो पाया।

गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में आर टी ई के अंतर्गत 25 प्रतिशत आरक्षण रखा गया। आरटीई के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन कितने गरीब परिवार लगा पाते हैं यह सबको पता है। यही कारण है इसका लाभ अधिकांशतया अपात्र लोग ले रहे हैं। यदि वास्तविक सर्वे कराया जाए तो ज्ञात होगा कि आर टी ई के अंतर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर अधिकतर स्वयं को कागजों में गरीब साबित करके सक्षम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जहां तक सरकारी विद्यालय का प्रश्न है, उनमें पढ़ाई का स्तर इतना खराब है कि पांचवीं कक्षा के आधे से अधिक बच्चे दूसरी का स्तर भी नहीं रखते हैं। इस विवेचन से साफ है कि बच्चों की शिक्षा भी सुगम नहीं है।

सरकार आजकल सारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन देने का दावा करती हैं, किंतु क्या सरकार में किसी ने सोचा कि प्रतिमाह ढाई सौ रुपए केवल डाटा खरीदने के लिए कितने गरीब परिवार जुटा पाएंगे? इंटरनेट का उपयोग करना तो अलग बात है। डिजिटल टैक्नीक से अनभिज्ञ होने के कारण प्रतिदिन हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं।

कोई भी नागरिक बिना सरकारी दखलअंदाजी के और बिना निरीक्षकों द्वारा परेशान हुए अपना मकान नहीं बना सकता है । सामान्यत: मौके की स्थिति और रिकॉर्ड की स्थिति में अंतर होता है। इसी का फायदा सरकारी कर्मचारी उठाते हैं। जो व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देकर व्यापार करना चाहता है उसके लिए वर्तमान व्यवस्था में काम करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वह उससे स्पर्धा नहीं कर सकता जो कर की चोरी करता है। अधिकारी/कर्मचारी भी उस व्यापारी को पसंद करते हैं जो टैक्स चोरी करता है ताकि उनकी भेंट पूजा आसानी से हो सके। अच्छा शासन तो वह कहलाएगा जिसमें कानून की पालन करने वाले नागरिक के लिए जीवन अधिक सुगम हो और कानून तोड़ने वाले के लिए दुर्गम ।

सामान्य नागरिक के जीवन में सरकार का दखल जितना कम होगा उतना ही लोगों का जीवन अधिक सुगम होगा। जो लोग ठेला लगा कर/ या थड़ी लगाकर छोटा-मोटा काम करते हैं, उनके लिए सरकार कोई स्थान तय नहीं करती और जब वह अपने स्तर पर जैसे-जैसे काम करना प्रारंभ करते हैं तो किसी न किसी विभाग जैसे पुलिस, नगर निगम या जे डी ए का निरीक्षक आकर उसके ठेले को उलट जाएगा या उनसे वसूली करने लग जाएगा। पॉलिथीन की थैलियां के उपयोग को रोकने के बारे में भी वही स्थिति है। सरकार अपने स्तर पर पॉलिथीन की थैलियों का उत्पादन तो बंद नहीं करेगी किंतु अपेक्षा क्या करेगी कि छोटे-छोटे दुकानदार थैलियों का उपयोग बंद करें। यह व्यवस्था गरीब के जीवन को कष्टप्रद ही बनाती है।

पेंशनर्स की बात ही लें । कुछ समय पूर्व तक सभी पेंशन कर्मियों की पेंशन सीधे उनके संबंधित बैंक खाते में प्रतिमाह जमा हो जाती थी और जीवन प्रमाण पत्र भी बैंक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता था। पता नहीं, किस कारण यह सारा काम बैंकों से लेकर के निदेशालय पेंशन को दे दिया गया। इससे सरलता पूर्वक पेंशन का जो काम चल रहा था, वह बिगड़ गया। सही पेंशन न मिलने पर उसे अनावश्यक रूप से निदेशालय पेंशन के चक्कर काटने के लिए विवश कर दिया गया है। सरकार सुगमता के बजाय कठिनाई बढ़ाने का ही कार्य कर रही है ।

जिस बैंक में आपका खाता 30/40 वर्षों से हो, तो प्रति 3 वर्ष में आपसे केवाईसी मांगा जाता है। यह केवल लोगों के जीवन को मैं कठिनाई उत्पन्न करने वाला ही सिद्ध हुआ है । केवाईसी का अर्थ यह था कि बैंक अपने ग्राहक को जाने। यह काम बैंक का था कि वह अपने ग्राहकों के पास जाकर के यह देखें कि वह सही व्यक्ति है या नहीं। इसके बजाय बार-बार केवाईसी मांगा जाना उसके लिए परेशानी का ही कारण है। यह कार्य विशेष रूप से उन लोगों के लिए और अधिक परेशानी उत्पन्न करता है जो बहुत कम पढ़े-लिखे हैं। वैसे तो सरकार की जितनी ऑनलाइन की सुविधाएं हैं उनका उपयोग पढ़े-लिखे लोग भी मुश्किल से ही कर पाते हैं और वह मजबूरी में किसी-किसी एजेंट के पास जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह किस प्रकार की सुगमता है?

हमारे मित्र की पत्नी की चेन खींच कर ले गया। इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। कई दिनों बाद मेरे मित्र को पुलिस वालों की तरफ से फोन आया कि उन्हें न्यायालय में बयान देने हेतु चलना है कि पुलिस के द्वारा किए गए प्रयास से वह संतुष्ट है। वह इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि कार्यवाही तो सारी पुलिस को करनी थी। लगता है, पुलिस का काम शिकायत कर्ता को परेशान करने का है न कि उसे राहत पहुंचाने का।

भारत सरकार काफी दिनों से देश के 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने का काम कर रही है। जयपुर में कुछ दिनों पहले प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन करने तक राशन देना बंद कर दिया। उनको यही पता नहीं था कि यह किस प्रकार से होता है? यदि एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं, जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, तो सबका बायोमेट्रिक सत्यापन कराए बिना राशन देना बंद कर दिया। हमारे परिचित निर्धन परिवार के सदस्य तीन-चार दिन तक राशन डीलर के यहां पर लाइन में खड़े रहे किंतु फिर भी यह काम नहीं हो पाया। स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इस प्रकार का आदेश निकाला, उनका धरातल की वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं था।

उपयुक्त होगा कि सरकार किसी स्वतंत्र एजेंसी से कुछ कुछ समय के अंतराल से सामान्य जनता के लिए 'ईज़ ऑफ लिविंग' का सूचकांक ज्ञात करके सार्वजनिक करे। अमृत काल में भारत के नागरिकों के लिए जीना सुगम होना ही चाहिए।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

बिना स्वयं की बुद्धिमत्ता व प्रतिभा के उपयोग के दिवंगत लोगों के नाम से हम कब तक और कहां तक आगे जा सकेंगे?

वीर बहादुर सिंह

भारतीय सनातन संस्कृति एवं परंपरा में मरे या दिवंगत व्यक्तिओं को वर्ष में केवल एक बार यानी श्राद्ध पक्ष में याद करने, उन्हें अर्पण तर्पण देने का प्राचीन काल से प्रावधान ऋषिओं मुनिओं ने किया हुआ है। और उस पर भी यदि उनका श्राद्ध गया आदि विशेष तीर्थ पर किया हुआ है तो वार्षिक श्राद्ध की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। ऐसा कभी होता नहीं देखा गया कि दिवंगत के नाम से कोई उत्सव अथवा भवन और योजना का श्रीगणेश किया जाए। यह मैं नहीं कहना चाहता कि ऐसा करना प्रतिबंधित है लेकिन एक परंपरा के अनुसार ऐसा होता नहीं है। फिर आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमने अपनी सनातन व्यवस्था को त्याग दिया और एक ऐसी परंपरा को अंगीकार कर लिया जो मरे हुए व्यक्ति के नाम से वर्षों और दशकों तक चलायी जाती है। जब हम पीछे के किसी आदर्श को अपना मॉडल बना कार्य आरम्भ करते हैं तो प्रगति की अवनति होना स्वयं सिध्य है।

आज़ादी के बाद यह कैसी गुलामी की संस्कृति पनपी कि किसी भी बड़े स्तर पर कोई योजना लागू करने व् विस्तार देने के लिए किसी मरे हुए राजनितिक व्यक्ति का नाम जोड़ लेते हैं। पूर्व में तो कभी ऐसा नहीं देखा गया कि सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्य योजना आरम्भ करने से पहले किसी मरे हुए दिवंगत व्यक्ति का नाम जोड़ लिया जाता हो। ऐसा करने वालों को विश्वास होता है कि अमुक नाम से कार्य योजना सफल भी होगी और सरकार व् जनता का संरक्षण और सपोर्ट भी भरपूर मिलेगा। मैं समझता हूँ यह एक तुच्छ मानसिकता है क्योंकि सरकार द्वारा चलाए गए अनेक कार्य प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री आदि विभिन्न नामों के रहते भी विफल होते देखे गए हैं। जबकी राम की वानर सेना और राम द्वारा बनाया राम सेतु ही समुद्र में आठ फ़ीट डूब गया, भगवान् कृष्णा की द्वारिका भी जल समाधी में जा चुकी है तो मनुष्य की क्या विसात कि उसके द्वारा बनाये प्रोजेक्ट चिरकाल तक बने रह सकेंगे ?

महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, अटल विहारी, डॉ. आंबेडकर आदि के नाम पर सरकार ने लागू की पूरे देश में अनेक योजनाएं, उनके बुत भी बनाये गए जिन पर कभी सफाई नहीं होने से पक्षी उन्हें अपने विसर्जित मलमूत्र से आवरण बना ढके रहते हैं। अनेक इमारतों, सड़कों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रोजगार कार्यक्रम मननरेगा, पार्क, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, बस अड्डा, इत्यादि अनेक ऐसे उपक्रम व् इमारतें हैं जिनके नाम मरे हुए लोगों के नाम पर हैं। दूसरी तरफ आम जनता अथवा व्यक्ति विशेष कभी अपने पूर्व परिवार के सदस्य के नाम से न तो कोई भवन बनाता है और न ही कोई अन्य उपक्रम शुरू करता है। ये परंपरा अथवा संस्कृति का विस्तार यदि होता है तो लोग गांव कस्बों में भी अपने परिजन के नाम उपयोग करने से नहीं चूकेंगे।

इस विस्तार की परणिति कहाँ रुकेगी?और क्या यह परंपरा उचित है? मुझे प्रतीत होता है कि ऐसी पोंगापंथी परंपरा के कारण ही देश आगे उन्नति करने के वजाय अवनति की तरफ जा रहा है विशेष तौर पर सामाजिक और नैतिक क्षेत्र में। बालिकाओं और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपार वृद्धि, आर्थिक मामलों में गबन, हेराफेरी, कालाबाज़ारी, अपहरण, फिरौती, सरकारी जमीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा, आदि उदाहरण गिनाने एवं नैतिक गिरावट में वृद्धि बताने के लिए काफी हैं।

भले ही हमारे मॉडल कुछ लोगों के प्रेरणा स्त्रोत रहे हों भले ही संविधान की पुस्तक लेकर जनता को हम दिखाते फिरें लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। एक सरल प्रकृति का नागरिक यह सब जानकर सोचता है कि ईश्वर ने कहाँ जन्म दे दिया? सरकार और मीडिया तो बहुत ही भोंडे तरीके से सुहावनी गाथा और दृश्य देश को परोसते हैं। वेलफेयर स्टेट कहा जाने वाला देश कौन सा वेलफेयर दे रहे हैं। अपने पुरखों या कहें अपनी राजनैतिक पार्टी के आकाओं के नाम को अग्रसर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। देहली देश की राजधानी इन सब के लिए एक सटीक उदाहरण पेश करता है जहाँ हमें मुगल शासन के बादशाहों के नाम पर अनगिनित जगह मिलेंगी। पता नहीं अंग्रेजों ने अपने किसी राजा रानी के नाम से (कुछ अपवाद छोड़कर) ऐसी विरासते क्यों नहीं बनायी, और जो बनी भी, आज़ादी के बाद सरकार ने उन्हे मिटा कर अन्य नाम रख लिए परन्तु किसी भी मुस्लिम बादशाह का नाम नहीं हटाया? क्या तत्कालीन सरकारें मुस्लिम परश्त और अंग्रेज विरोधी थी?

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गाँधी जी को ब्रिटिश सरकार एक सौ रुपये प्रति माह देती थी ताकि वे अधिक खिलाफत न करें और कालान्तर में सत्ता हस्तांतरण में सहायक हो सकें। फलस्वरूप गाँधी ने अंग्रेजों के प्रति नरमी बरती जबकि सुभाष बोस अंग्रेजों के विरोधी रहे। ऐसी नैतिकता थी हमारे तथाकतिथ राष्ट्र निर्माताओं की। मुस्लिम आक्रांताओं और ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय शिक्षा को तहसनेस कर दिया फलस्वरूप आज़ादी के समय अधिकांश जनता अशिक्षित और गरीब थी, ग्रामीण अपनी रोजीरोटी कमाने में ही पूरे साल लगे रहते थे। सिचाई के साधन नहीं के बराबर और फसल की उत्पादकता बहुत कम थी। ऐसे माहौल में आज़ादी और कर्तव्यपरायणता की बात आम अशिक्षित जनता के लिए अप्रासांगिक थी। आज़ादी के बाद नेताओं ने पार्टी बनाकर हर घर में पेंठ बनाली और जनता को भ्रम में डालकर अपना वोट पक्का करने का काम सुद्रण किया।

पार्लियामेंट हाउस के भवन पर अब तो अशोक स्तम्भ का प्रतीक लग गया है यह अच्छी बात है यह अशोक स्तम्भ पहले ब्रिटिश राज में भी करेंसी नोटों पर छपता था जिसे स्वतंत्र देश की सरकार ने हटा कर गाँधी का चित्र छापना शुरू कर दिया यह व्यक्ति पूजा कतिपय लोगों को खुश करने के लिए और अपने उद्देश्य साधने के लिए आज़ाद सरकार के अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने भी इस अशोक स्तम्भ को नोटों से नहीं हटाया था यहाँ तक इंडोनेशिया के नोटों पर अभी भी अशोक स्तम्भ छपता है। विक्रमादित्य राज के समय से यह स्तम्भ देश ने अपनाया हुआ था। गाँधी ने तो देश के टुकडे करवा दिए जबकि विक्रमादित्य के राज में विशाल अखंड भारत था। स्वामी विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी स्थान पर एक शिला पर खड़े होकर एक अखंड भारत की कल्पना की थी जो आज़ादी के बाद की सरकारों और स्वार्थी नेताओं ने साकार नहीं होने दी। ऐसे नेता वर्तमान में भी देश की सरकारों का हिस्सा बने हुए हैं और विदेशी ताकतों से मिल कर देश को कमजोर करने में प्रयासरत हैं। स्वामी विवेकानन्द जी को तो भारत सरकार ने एक तरह से नगण्य ही कर रखा है जबकि आज़ादी का बीज उन्होंने अपने शिकागो अमेरिका के भाषण में ही बो दिया था।

लेख को अनावश्यक लम्बा न करते हुए मेरी यह अनुशंसा है कि देश में किसी भी जगह, भवन, सड़क, हवाई अड्डा, सिचाई व् अन्य कोई भी परियोजना आदि का नाम-करण व्यक्ति के नाम पर न रखा जाय और वो भी दिवंगत के नाम पर। डेमोक्रेसी में व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन तानाशाही व्यवस्था को जन्म देता है। देश की जनता की खातिर कठोर शासन प्रशासन के रहते तानाशाही को नकारते हुए प्रजातन्त्र (कर्मठ जन सहयोग) को सुद्रण रखने से ही देश खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है।

–वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं खाद्य विज्ञ,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय,
उदयपुर, राज.

शूटिंग खिलाड़ी हर्षिता ने की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात

भीलवाड़ा । जयपुर की जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित 22वीं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप राइफल, पिस्टल प्रतियोगिता 2024 में भीलवाड़ा की बेटी हर्षिता भार्गव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्वाइंट 22 पिस्टल की 25 मीटर व 50 मीटर स्पर्धा में एक बार फिर ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। 10 मीटर एयर पिस्टल में हर्षिता ने 400 में 376 अंक प्राप्त कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूर्व में भी हर्षिता नेशनल के लिए क्वालीफाई कर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी है।

■ राजे ने किया हर्षिता का उत्साहवर्धन, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया प्रेरित

हर्षिता के पिता राजेन्द्र भार्गव ने बताया कि राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग विजेता हर्षिता भार्गव ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जयपुर स्थित 13 नंबर बंगले पर जाकर उनसे भेंट की। राजे ने हर्षिता भार्गव से शूटिंग में उसके प्रदर्शन के बारे में सम्पूर्ण जानकारी ली और भरोसा जताया कि हर्षिता एक दिन इंडियन टीम में शामिल होकर ओलम्पिक खेलने जरूर जाएगी। हर्षिता ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस खेल को खेलती है और एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर जीतकर लाएगी।

अब तक यह उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं हर्षिता - भीलवाड़ा की बेटी हर्षिता ने राजस्थान सरकार के युवा मामले व खेल विभाग की ओर से आयोजित प्रथम राज्य खेल प्रतियोगिता 2019-20 में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा गुजरात अहमदाबाद में जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रांज मेंडल प्राप्त कर चुकी है। इफल एसोसिएशन के तत्वाधान में 2019 में जगतपुरा रेंज में आयोजित राज्य स्तरीय ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2022 में गुरुकुल स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित सम्मान समारोह में हर्षिता भार्गव को सम्मानित किया। हर्षिता को 2022 में ही गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान से खेलने हेतु मध्यप्रदेश का प्रस्ताव ठुकराया - हर्षिता के पिता राजेंद्र भार्गव बताते है कि भोपाल स्थित मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी ने हर्षिता का नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए चयन किया था। यहां पर उसका रहना, खाना, पिस्टल, कारतूस, ड्रेस आदि सभी खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करती थी।

करीब चार माह से ज्यादा समय तक उसने वहां प्रशिक्षण लिया किंतु मध्यप्रदेश से खेलने की बाध्यता की शर्त सामने आते ही हर्षिता ने राजस्थान से ही खेलने की मंशा जताते निशुल्क अकादमी प्रशिक्षण छोड़ दिया। फिलहाल परिवार ही हर्षिता के प्रशिक्षण का खर्च उठाता है। कोई भामाशाह आगे आकर सहायता की पेशकश करता है तो ही वह उसका सम्मान रखते हुए स्वीकार कर लेती है।

श्रीराम के आदर्श चरित्र पर लिखी पुस्तक का विमोचन

भरतपुर (निस)। राजस्थान जन सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में श्रीनाथ शिक्षण संस्थान मडरपुर रोड पर काव्य गोष्ठी एवं मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम के आदर्श चरित्र पर डॉ. रामदास शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। जिसकी अध्यक्षता बृजेश कोशिक एवं मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश गुप्ता नर्सिंग अधीक्षक, कुम्हेर एवं विशिष्ट अतिथि राजेन्द्र अनुरागी, प्रान्तीय सचिव ने की। कार्यक्रम का संचालन श्याम सिंह जघीना ने किया। सर्वप्रथम श्रीनाथजी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित किया गया। माँ शारदे की वन्दना हरिओम हरि ने की एवं अपनी कविता के माध्यम से "यूँ तो सबके जीवन का अनुबन्ध अलग है किन्तु कंटीले फूलो का मकरन्द अलग है। " राजेन्द्र अनुरागी ने " ओ मंजिल पर जाने वाले फुटपाथो की ओर चला, इनको अब न ज्यादा तुम छलो।" डॉ. सुरेश चतुर्वेदी" आये इस संसार में करा न दुर्जन संग" डॉ. अशोक गुप्ता" देश के वीर जवानो सुन लो बात मेरी, देश हित जीना देश हित मरना तुमको सदा भाता है। लोकेश ने "छोटो सो मौहल्ला मेरौ, पूरौ बिग बजार हतौ" बृज भाषा की रचना सुनाकर तालियो की गडगडाहट से माहौल को प्रफुल्लित कर दिया। संस्था द्वारा राकेश राजस्थानी एवं डॉ. रामदास शर्मा को श्रीफल, शॉल, साफा, माला पहनाकर एवं "लोक मनीषी" की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया।

चांदी की पालकी में श्री साई बाबा की सावारी निकलेगी

कोटा, (निसं)। श्री शिरड़ी साईं समिति गढ़ पैलेस की ओर से इस बार भी भव्य रूप से श्री साई बाबा की पालकी 21 जुलाई को निकाली जाएगी। इस दौरान बाबा का पंचामृत अभिषेक होगा, मध्यांतर आरती होगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे से बाबा की पालकी शुरू होगी।

गुरू पूर्णिमा महोत्सव के तहत चांदी की पालकी में विराजमान होकर श्री साई बाबा को शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकलेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समिति और भक्तों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भव्य शोभायात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। साई भक्त योगेश पंचोली ने बताया की इस बार मध्यप्रदेश के मंसूरी ढ ोल साई के दरबार में अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 300 कार्यकर्ताओं की सूचीबद्ध टीम व्यवस्था संभालेगी व प्रसाद वितरण करेगी साथ ही सभी भक्तजनों को बाबा के दर्शन करने में सहायता करेगी। चंद्रप्रकाश जेठी, हीरालाल रोहिडा ने बताया पालकी का जगह-जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। कई संस्थाओं और समाज द्वारा स्वागत द्वार लगाए जाएंगे, पुष्प वर्षा होगी, खाने के आइटम का प्रसाद वितरण होगा। कार्यक्रम को भव्य रूप देते हुए सफल बनाए जाने के लिए श्री साई बाबा पालकी आयोजन समिति का गठन किया गया। भुवनेश गहलोत, हेमराज सोलंकी ने बताया कि बाबा के दरबार में 250 किलो खिचड़ी प्रसाद वितरण होगा। साई पालकी में जीवंत झाकियां व साई बाबा की पैदल झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। 300 से 350 कार्यकर्ता साई पालकी में अपनी ड्यूटी के साथ पालकी लेकर भ्रमण को चलेंगे।

राशिफल मंगलवार 16 जुलाई, 2024

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, शुकल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, विशाखा नक्षत्र रात्रि 2:19 तक, साध्य योग प्रात: 7:18 तक, तैतिल करण प्रात: 7:57 तक, चन्द्रमा आज सायं 7:52 से वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-तुला, मंगल